पण्डित दीनदयाल उपाध्याय
अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा 2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा–2025 शिविर– डिडायच

प्रकरण संख्या:– 105/2025

दिनांक:– 30/6/2025

उनवान

श्री श्योकरण पुत्र (ब्रजगोपाल) जाति मीना नि. घोली बनाम सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा सत्यमेव जयते

:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरूस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का डिडायच भू. अ. नि. माधोपुर एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम घोली प0 ह0 डिडायच की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 108, 109, 135 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1.	आवेदक के नाम में अशुद्धि	शिवकरण पुत्र (ब्रजगोपाल) जाति मीना	श्योकरण पुत्र (ब्रजगोपाल) जाति मीना

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

प्रतिलिपी :–

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को इस आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर सूचित किया जावे कि
2. प्रार्थी श्री श्योकरण पुत्र (ब्रजगोपाल) मीना।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.07.09 14:39:25 IST
Reason: SelfAttested